

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 06/06/2025

क्रमांक/ 688/2025/वि-5/22/स्था.

राज्य शासन एतद् द्वारा नीचे तालिका के कॉलम-02 में दर्शाए गए उपायुक्त(वि.) को प्रशासकीय आधार पर तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कॉलम-04 में दर्शाए गये स्थान पर पदस्थ करता है:-

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री राजेश कुमार शाक्य, उपायुक्त (वि.)	मु.का.अ.ज.प.सुसनेर जिला आगर-मालवा	अति.मु.का.अ. जि.पं. खरगौन
2	श्री मुद्रिका प्रसाद सिंह, उपायुक्त (विकास)	अति.मु.का.अ. जि.पं. शहडोल	अति.मु.का.अ. जि.पं. अनूपपुर
3	श्री पंकज जैन उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. विदिशा	अति.मु.का.अ. जि.पं. डिण्डौरी
4	श्री वृंदावन मीणा उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. रायसेन	अति.मु.का.अ. जि.पं. बालाघाट
5	श्री डी.के. कर्पे उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. बालाघाट	परियोजना अधिकारी जि.पं. छिंदवाडा एवं अति. प्रभार मु.का.अ.ज.पं. मोहखेड जिला छिंदवाडा
6	श्री विशाल सिंह उपायुक्त(वि)	अति.मु.का.अ. जि.पं. गुना	विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
7	सुश्री सीमा अग्रवाल उपायुक्त (वि.)	प्राचार्य, ई.टी.सी. उज्जैन	प्राचार्य, ई.टी.सी. नौगांव छतरपुर
8	श्री दिनेश वर्मा उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. झाबुआ	अति.मु.का.अ. जि.पं. धार
9	श्री अनुराग मोदी उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. सिंगरौली	अति.मु.का.अ. जि.पं. कटनी
10	श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर उपायुक्त (वि.)	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत आगर मालवा	अति.मु.का.अ. जि.पं. सतना
11	श्री अरविंद डामोर उपायुक्त (वि.)	अति. मु. का. अ. जिला पंचायत नीमच	अति.मु.का.अ. जि.पं. सिंगरौली
12	श्रीमती उषा पी. शर्मा उपायुक्त (वि.)	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत ग्वालियर	अति.मु.का.अ. जि.पं. टीकमगढ़
13	श्री मनोज कुमार सिंह उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. जबलपुर	विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल
14	श्री ए.बी. खरे उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. रीवा	अति.मु.का.अ. जि.पं. विदिशा
15	श्री के.के. सोनी उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. अनूपपुर	विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल

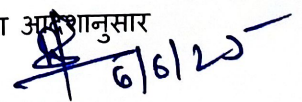
 06/25

16	श्री शिवप्रसाद उपायुक्त (वि.)	उपसंचालक, आयुक्त कार्यालय ग्वालियर	उपसंचालक आयुक्त कार्यालय जबलपुर
17	श्रीमती कीर्ति मिश्रा उपायुक्त (वि.)	उपसंचालक, आयुक्त कार्यालय उज्जैन	अति.मु.का.अ. जि.पं. मण्डला
18	श्री सिद्ध गोपाल वर्मा उपायुक्त (वि.)	मु.का.अ.ज.पं. जतारा जिला टीकमगढ़	अति.मु.का.अ. जि.पं. अलीराजपुर
19	श्री संजय अग्रवाल, उपायुक्त (वि.)	मु.का.अ.ज.पं. सोहागपुर जिला नर्मदापुरम	अति.मु.का.अ. जि.पं. सीहोर (मु.का.अ.ज.पं. भैरुदा जिला सीहोर का अतिरिक्त प्रभार)
20	श्री नरेन्द्र नरवरिया, उपायुक्त (वि.)	अति.मु.का.अ. जि.पं. अशोकनगर	परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत शिवपुरी (मु.का.अ.ज.पं. पिछोर जिला शिवपुरी का अतिरिक्त प्रभार)
21	श्री ब्रम्हेन्द्र गुप्ता, उपायुक्त (वि.)	मु.का.अ.ज.पं. करैरा जिला शिवपुरी	मु.का.अ.ज.पं. नरवर जिला शिवपुरी
22	श्री कृष्णकांत पाण्डे, उपायुक्त (वि.)	मु.का.अ.ज.पं. बडवारा जिला कटनी	मु.का.अ.ज.पं. पथरिया जिला दमोह
23	श्री पी.सी. वर्मा, उपायुक्त (विकास)	मु.का.अ.ज.पं. झाबुआ जिला झाबुआ	मु.का.अ.ज.पं. गरोठ जिला मंदसौर

- 2/ श्री अशोक कुमार चतुर्वेदी उपायुक्त (वि.) का विभागीय आदेश दिनांक 01.12.2022 से प्राचार्य ई.टी.सी. नौगांव जिला छतरपुर किया गया स्थानांतरण निरस्त करते हुए श्री चतुर्वेदी को अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना के पद पर यथावत पदस्थ किया जाता है।
- 3/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 14 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों से गैर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानांतरण शासकीय सेवकों को तब तक भारमुक्त न किया जाये, जब तक कि उनके स्थान पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी द्वारा पदभार ग्रहण न कर लिया गया हो, परंतु-उक्त शर्त एक अनुसूचित क्षेत्र से दूसरे अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
- 4/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 42 के अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात दो सप्ताह में कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य है।
- 5/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 45 के अनुसार कर्मचारी / अधिकारी का कार्यमुक्ति के लिये पूर्वोक्त कंडिकाओं में निर्धारित समयावधि दो सप्ताह के उपरांत उक्त कर्मचारी / अधिकारी का वेतन का आहरण जिस स्थान से स्थानांतरण किया गया है उस स्थान से अनिवार्यतः बंद किया जाये। यदि इसके विपरीत वेतन आहरित होता है तो यह वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए कार्यालय प्रमुख, आहरण व सवितरण अधिकारी विशेष रूप से उत्तरदायी होगा।
- 6/ स्थानांतरण नीति की कंडिका क्रमांक 47 के अनुसार कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकार किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(हृदयेश श्रीवास्तव)

उप सचिव

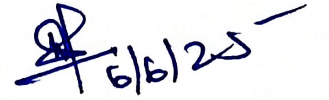
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक/ 689/2025/वि-5/22/स्था.

भोपाल, दिनांक 6/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल ।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/निज सचिव राज्य मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. भोपाल ।
4. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
5. निज सहायक, प्रमुख सचिव / उप सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
6. विकास आयुक्त, म.प्र. भोपाल ।
7. संचालक, पंचायतराज संचालनालय विकास भवन भोपाल ।
8. समस्त कार्यक्रम / योजना प्रमुख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल मध्यप्रदेश ।
9. संभाग आयुक्त मध्यप्रदेश ।
10. कलेक्टर जिला मध्यप्रदेश ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्यप्रदेश ।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
13. संबंधित सर्व श्री/श्रीमती की ओर पालनार्थ ।
14. गार्ड फाइल ।

 6/6/25

उप सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग